उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-63/2025/1147/25-27-10001(001)/1/2024-10
लखनऊ: दिनांक: 01 जुलाई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

श्री अखिलेश कुमार, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ, जिन्हें शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 30.06.2024 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, के दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हो रहे प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) के पद का कार्यभार शासकीय कार्यहित में नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अस्थायी तौर पर अग्रिम आदेशों तक अथवा प्रमुख अभियन्ता (यां0) के पद पर नियमित चयन होने, जो भी पहले हो, तक के लिए तात्कालिक प्रभाव से श्री संदीप कुमार, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सौंपा जाता है।

2- श्री संदीप कुमार को प्रमुख अभियन्ता (यां0) के पद का अतिरिक्त कार्यभार के सम्पादन हेतु पृथक से वेतन भत्ते व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक- यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) (सिविल/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-9/10/11/12), कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- सम्बन्धित अधिकारी, द्वारा-प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन के समस्त अनुभाग।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।